न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी/02/2012

मोहन सिह पुत्र श्री अर्जुन सिंह जाति ठाकुर निवासी रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर

....निगरानीकर्ता

बनाम

1–दारासिंह पुत्र सम्पत सिह जाति ठाकुर निवासी रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर
2–ग्रांम सेवा एवं पदेन सचिव ग्रांम पंचायत मलाह पं.स. सेवर

.....गैरसायलान

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम विरुद्व आदेश ग्रांम पंचायत मलाह पंचायत समिति सेवर दिनांक 20.12.2009 बाबत मन्जूरी मकान प्रस्ताव सं.3(1) ग्रांम पंचायत मलाह

उपस्थित :–

1–श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक,प्रार्थी
2–श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय दिनांक 29.1.2018

प्रार्थी. ने यह निगरानी विरुद्व अप्रार्थीगण वंखिलाफ आदेश ग्रांम पचांयत मलाह आदेश दिनांक 20.12.2009 के खिलाफ पेश की गई है। उक्त निगरानी अधीन आदेश में ग्रांम पंचायत मलाह, पंचायत समिति सेवर ने दारा सिंह पुत्र सम्पत सिंह जाति ठाकुर निवासी रामपुरा तहसील भरतपुर के हक में मकान निर्माण मन्जूरी जारी की गई है। उक्त मकान निर्माण मन्जूरी दिनांक 20–12–2009 के खिलाफ प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

प्रकरण निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। ग्रांम पचांयत मलाह से रिकार्ड तलब किया गया। ग्रांम पंचायत मलाह से कार्यवाही रजिस्टर प्राप्त हुआ है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि ग्रांम पंचायत मलाह ने अपने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.12.2009 को अप्रार्थी दारासिंह को पक्के मकान निर्माण हेतु स्वीकृति दी है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने मकान का निगरानी कर्ता एक मात्र स्वामी आधिपत्यधारी है, अप्रार्थी का उक्त मकान भूखण्ड से कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी का कभी कोई कब्जा या आधिपत्य नहीं रहा है।

.....2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उन्होने यह भी बताया कि उक्त विवादित मकान भूखण्ड को जरिये इकरारनामा खरीदना बताते हुये दीवानी न्यायालय में प्रार्थी के खिलाफ वाद दायर किया हुआ है। जिसमें दोनों पक्षा को विवादित जायदाद की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिनांक 20.2.2011 से पाबन्द किया हुआ है। मकान निर्माण मन्जूरी करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ग्रांम पंचायत मलाह ने नियमानुसार कोई उज्रदारी नोटिस जारी नहीं किये गये हैं, मौका रिपोर्ट नहीं बनवाई गई है और ना हीं विवादित भूखण्ड के स्वत्व के बाबत कोई दस्तावेज नहीं लिये गये हैं। बिना कोई कार्यवाही किये मनमर्जी से मकान निर्माण मन्जूरी जारी की गई है, प्रार्थी ने विवादित मकान/भूखण्ड को अप्रार्थी को विक्रय नहीं किया है। ग्रांम पंचायत ने निर्माण मन्जूरी से पूर्व कोई पंचायत की बैठक नहीं बुलाई गई है और नाहीं कोरम की पूर्ति कराई गई है। ग्रांम पंचायत द्वारा दीगई निर्माण मन्जूरी नियमों के खिलाफ है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि निगरानी के लिये कोई म्याद नहीं होती है, फिर भी म्याद अधिनियम के तहत देरी को माफ करने के लिये धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1998 पेज 558, डी.एन.जे. 2016(3) पेज 1083, डी.एन.जे. 2011(3) पेज 1286, डी.एन.जे. 2014(2) पेज 644, की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। निगरानी स्वीकार की जाकर ग्रांम पंचायत मलाह द्वारा जारी निर्माण स्वीकृत खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी न.1 ने अपने कथनों में जाहिर किया कि ग्रांम पंचायत मलाह द्वारा निर्माण मन्जूरी विधिवत जारी की गई है। इस मंजूरी की जानकारी अप्रार्थी मोहन सिंह को शुरु से ही है। ग्रांम पंचायत से विधिवत मन्जूरी लेकर ही मकान का निर्माण कराया है जिसमें प्रार्थी निवास कर रहा है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के हक में किये गये विक्रय पत्र एवं कब्जे के आधार पर ही ग्रांम पचांयत ने निर्माण मन्जूरी दी है। उन्होने बताया कि सिविल न्यायालय के आदेश से कलक्टर(मुद्रांक) भरतपुर द्वारा कथित विक्रय इकरारनामा पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा किया गया है। प्रार्थी के मन में कथित विक्रय इकरारनामा को लेकर अब बदनीयत आ गई है जिससे प्रार्थी अब इससे इन्कारी कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बेदखली करने की कोशिश के कारण सिविल न्यायालय में दावा संख्या 38/10 दारा सिह बनाम मोहन सिह पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थी मोहन सिंह को पाबन्द कराया गया है। प्रार्थी ने मंजूरी को अपने काउन्टर क्लेम के जरिये सिविल न्यायालय में चैलेन्ज कर रखा है। इस लिये निगरानी मैन्टेनेबिल नहीं है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि निर्माण मन्जूरी की जानकारी 20.12.2009 से ही थी प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम अस्पष्ट है जिसमें जानकारी की कोई तारीख महीना सन् अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थी ने अपनी जानकारी अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये दीवानी दावा पेश करने से बतलाई है। अप्रार्थी ने दीवानी दावा दिनांक 23.1.2010 को पेश किया है जिसमें प्रार्थी 5.2.2010 को उपस्थित हो गया।

.....3

प्रार्थी को अपने म्याद प्रार्थना पत्र में देरी के प्रत्येक दिन का कारण अंकित करना चाहिये था। जो नही किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि निगरानी मंजूरी आदेश से सबंधित है इसको सुनने का अधिकार राज्य सरकार को है, प्रार्थी को निगरानी नगरीय विकास विभाग जयपुर के यहॉ करनी चाहिये थी। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने हमारा ध्यान डी.एन.जे. 2011(1) पेज 194, डी.एन.जे. 2007(3) पेज 1412, डी.एन.जे. 2012(2) पेज 602, आर.आर.डी.2017 पेज 456, डी.एन.जे. 2008(2) पेज 735, डी.एन.जे. 2015(4) पेज 1853, की आकर्षित किया तथा योग्य अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र निगरानी मय खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्रांम पंचायत मलाह, के आदेश निर्माण स्वीकृति प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 20.12.2009 के खिलाफ यह निगरानी न्यायालय हाजा में दिनांक 2.7.2012 को प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी लगभग तीन साल बाद प्रस्तुत की गई है। ग्रांम पंचायत मलाह से प्राप्त पत्र कमांक/एसपी–1 दिनांक 19.8.2014 एवं प्राप्त कार्यवाही विवरण रजिस्टर का अवलोकन किया गया। रजिस्टर में दिनांक 20.12.2009 में लिये गये प्रस्ताव संख्या–3 का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव संख्या–3 में हो रहे अंकन एवं रजिस्टर के कॉलम न.6 में सदस्यों के हो रहे हस्ताक्षरों से स्पष्ट है कि ग्रांम पंचायत ने सर्व सम्मति से अप्रार्थी दारासिंह पुत्र सम्पत सिंह को निर्माण स्वीकृति दी गई है। पक्षकारान के मध्य कथित निर्माण/भूमि के को लेकर सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन है। यह तथ्य उभय पक्षकार स्वीकार करते हैं। अस्तु निगरानी काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ ग्रांम पंचायत मलाह से प्राप्त कार्यवाही रजिस्टर वापिस लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

{ डॉ.एन.के.गुप्ता }
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official